

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 1968/पौष 5, 1890

No. 225]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1968/PAUSA 5, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 1968

G.S.R. 2241.—In exercise of the powers conferred by clauses (1) of article 258 of Constitution, the President, with the consent of the State Governments concerned, hereby authorises the District Collectors/Deputy Commissioners in the States of Andhra Pradesh, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Nagaland, Uttar Pradesh and the Director of Handlooms in the State of Madras, to perform, within their respective jurisdictions, the duties of a Collector under the Produce Cess Act, 1966 and the rules made thereunder, in respect of Cotton consumed in any mill with a view to producing or manufacturing any goods therefrom.

[No. 11(14)/67-C.A. I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

खार, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1968

जी० एस० आर० 2242:—संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति से, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के जिला समाह्वताओं/उपायुक्तों को और मद्रास के हाथ करवा निदेशक को, उनकी अपनी सम्बन्धित सीमाओं में जहां तक कपास से कोई सामान बनाने या निर्माण करने के विचार से किसी मिन में कपास की खपत का सम्बन्ध है उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अन्तर्गत समाह्वता का काम करने का अधिकार देते हैं।

[11 (14)/67-सी० ए०-1]

सु० ज्यो० मजुमदार, अव्वर सचिव।